श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर - 452007
दूरभाष : 0731-2432822, फैक्स: 0731-2536600
ईमेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://www.labour.mp.gov.in

क्र. 6/3/बफ/अन्वे./2020/12800-51/ इंदौर, दिनांक: 19/04/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

(संशोधित परिपत्र)

विषय:- मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो 10 मार्च, 2021 या उसके उपरांत मध्यप्रदेश में लौट रहे हैं, उन प्रवासी श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन किये जाने विषयक (संशोधित परिपत्र)

संदर्भ:- श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन का परिपत्र क्रमांक 321/पीएस/लेबर/2020 दिनांक 24.05.2020 एवं क्रं 977/2020/पीएस/लेबर/2020 दिनांक 26.05.2020 एवं **श्रम आयुक्त का परिपत्र क्रमांक 6/3/बफ/अन्वे./2020/ 12621 दिनांक 11.04.2021**

उक्त विषयक संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 6/3/बफ/अन्वे./2020/ 12621 दिनांक 11.04.2021 के माध्यम से यह दिशा-निर्देश जारी किये गये थे कि अनेक राज्यों में पुन: लॉकडाउन लगाये जाने के कारण मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिकों के रूप में नियोजित थे तथा 01 अप्रैल, 2021 या उसके बाद वापस मध्यप्रदेश राज्य में लौट रहे हैं, ऐसे प्रवासी श्रमिकों का सर्वे तथा सत्यापन करते हुए उनका पंजीयन प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों द्वारा एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जाना है।

उक्तानुसार जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए अब प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर 01 अप्रैल, 2021 के स्थान पर **10 मार्च, 2021 या उसके बाद वापस राज्य में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का सर्वे एवं सत्यापन करते हुए पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाना है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।**

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्ताशय के संशोधित दिशा-निर्देश जिले में सर्वसंबंधितों को जारी करते हुए समस्त ग्राम सचिव, रोजगार सहायक तथा वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि वे 10 मार्च, 2021 या उसके बाद उनके क्षेत्र में अन्य राज्यों से वापस लौट रहे राज्य के निवासी श्रमिकों का तत्काल सर्वेक्षण करते हुए जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें एवं यदि पूर्व से इस आशय की उक्त अवधि की जानकारी पंजी में दर्ज की गयी है तो उसे भी पोर्टल पर दर्ज किया जावे। कृपया इसकी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जावे।

(प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा आदेशित)

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रमायुक्त

क्र. 6/3/बफ/अन्वे./2020 / 2852-997 इंदौर, दिनांक: 19/04/2021

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

2- मुख्य सचिव के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

3- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल

4- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

5- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

6- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

7- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

8- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पोर्टल एवं एप संबंधी कार्यवाही त्वरित कराये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।

9- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

10- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर मीडिया में प्रचार-प्रसार के अनुरोध सहित प्रेषित।

11- समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

12- **स्टेट इंफॉरमेटिक्स ऑफिसर, एन.आय.सी. भोपाल एवं**

13- **श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आय.सी., भोपाल की ओर संबंधित एप एवं पोर्टल को तत्काल अपडेट एवं प्रारंभ किये जाने हेतु प्रेषित।**

14- सचिव, मध्यप्रदेश शहरी / ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15- सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला / जनपद पंचायत, म.प्र.

17- समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगरीय निकाय. म.प्र.

18- समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी/सहायक श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक, मध्यप्रदेश।

19- संचालक/समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र.

श्रमायुक्त

मध्य प्रदेश, इंदौर